

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

उप निदेशक,
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,
सर्कल-2, गुरुग्राम।


क्रमांक: स्था0/03/2019/29137

दिनांक: 17-9-19

विषय:- वार्षिक वेतन वृद्धि बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1529 दिनांक 14.08.2019 के सन्दर्भ में।

विषय सम्बंध में आप द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण, कनिष्ठ आशुलिपिक को इंकरीमेंट दिया जाना है या नहीं बारे मार्गदर्शन मांगा गया था, जिस पर आपको स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कर्मचारी कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है जबकि उक्त हिदायतों अनुसार लिपिक/आशुलिपिक के लिए एस.ई.टी. सी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः उक्त कर्मचारी को इन्करीमेंट का लाभ दिया जाना बनता है।


अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।